भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या-1268

उत्तर देने की तारीख-**08/12/**202**5**

पीएम-श्री वद्यालय योजना के तहत स्कूलों का उन्नयन

1268. डॉ. मन्ना लाल रावतः

श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) देश में पीएम श्री वद्यालय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शक्षा नीति, 2020 के तहत वद्यालयों के उन्नयन एवं क्षमता निर्माण हेतु अब तक कए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनरा श कतनी है तथा अब तक इस योजना से लाभान्वित वद्यालयों की संख्या राजस्थान और बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, जिला-वार कतनी है;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है क कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय शक्षा नीति, 2020 को पूरी तरह से लागू नहीं कया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में पीएम श्री वद्यालय योजना के अंतर्गत अब तक चयनित वद्यालयों की संख्या राजस्थान और बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, जिला-वार कतनी है;

(च) इस योजना के अंतर्गत वद्यालयों के चयन हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(छ) क्या इन वद्यालयों में अवसंरचना और गुणवत्ता मानकों को समय पर पूरा करने के लए सरकार द्वारा निगरानी प्रणाली स्था पत की गई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) राजस्थान के उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में पीएम-श्री वद्यालय योजना के अंतर्गत चयनित वद्यालयों की सूची का ब्यौरा क्या है और इसके लए कतनी धनरा श स्वीकृत की गई है**?**

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): राष्ट्रीय शक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वद्यालयों के उन्नयन और क्षमता निर्माण के लए, पीएम-श्री योजना में व भन्न घटकों जैसे कंप्यूटर लैब/आईसीटी लैब/स्मार्ट कक्षा, अच्छी फर्नीचर वाली पुस्तकालय, इंटरनेट सु वधा, व्यावसायिक कौशल शक्षा, मार्गदर्शन और करियर परामर्श, पूर्णतः

सुसज्जित एकीकृत वज्ञान प्रयोगशाला/भौतिकी प्रयोगशाला/रसायन प्रयोगशाला/जीव वज्ञान प्रयोगशाला, खेल सु वधाओं से सुसज्जित खेल के मैदान, स्कूल नवाचार परिषद, मशन लाइफ हेतु युवा एवं इको क्लब, प्राथ मक कक्षा के बच्चों के लए बाला फीचर्स और जादुई पटारा, छात्रों के लए 10 बैग-रहित दिन, बच्चों की उपस्थिति की निगरानी हेतु चाइल्ड ट्रैकंग सोफ्टवेयर, पूर्ण रूप से कार्यशील हाथ धोने की सु वधा और शौचालय, हरित वद्यालय सु वधाएँ आदि से पीएम-श्री वद्यालयों को सुसज्जित करने का प्रावधान है।

(ख) पीएम-श्री योजना के तहत राजस्थान और बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/के वसं/न वसं/एनसीईआरटी वार संस्वीकृत धनरा श तथा लाभान्वित वद्यालयों की संख्या अनुलग्नक-**I** में दी गई है।

(ग) और **(घ):** राष्ट्रीय शक्षा नीति **2020** के अनुसार**,** नीति के कार्यान्वयन के लए अनेक पहलों और कार्रवाइयों की आवश्यकता होती है**,** जिन्हें व भन्न निकायों द्वारा समन्वित और व्यवस्थित रूप से लया जाएगा। एनईपी 2020 में इसे कार्यान्वित करने के लए अलग-अलग समय-सीमा के साथ-साथ सद्धांत और प्र क्रया के बारे में भी प्रावधान है। इसमें 2030-40 के दशक में पूरी नीति को लागू करने की भी परिकल्पना की गई है**,** जिसके बाद एक अन्य व्यापक समीक्षा की जाएगी। शक्षा सं वधान की समवर्ती सूची में है। अ धकांश स्कूलों का प्रबंधन संबं धत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा कया जाता है। शक्षा मंत्रालय एनईपी 2020 को कार्यान्वित करने में राज्यों की सहायता हेतु आवश्यक कदम उठाता है।

(ङ)**:** पीएम श्री योजना के तहत के वसं**,** न वस और एनसीईआरटी के साथ **33** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल **13,076** वद्यालयों का चयन कया गया है। पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान और बिहार सहित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार चयनित स्कूलों की ज़िलेवार संख्या अनुलग्नक-**II** में दी गई है।

(च): पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों का चयन करने के लए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड पीएम श्री फ्रेमवर्क के “चयन पद्धति (पृष्ठ संख्या 13-22)” के अंतर्गत दिए गए हैं**,** जो **https://pmshri.education.gov.in/assets/pdf/part1_pmshri.pdf** पर उपलब्ध हैं।

(छ): पीएम श्री स्कूलों में अवसंरचनात्मक और गुणवत्ता मानकों को समय पर पूरा करने की निगरानी के लए निम्न ल खत कदम उठाए गए हैं:

i. एनआईसी द्वारा तैयार एक पृथक प्रबंध पोर्टल **(https://prabandh.education.gov.in/pmshri/)** के माध्यम से व्यय की निगरानी**,** जिससे पीएबी द्वारा अनुमोदित व भन्न घटकों के तहत उपयो गता और परिणामों की निगरानी हो सके।

ii. प्रगति का आकलन करने के लए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निय मत मा सक समीक्षा का आयोजन

iii. वद्यार्थी स्तर के परिणामों, अवसंरचना संबंधी तैयारी, घटक-वार संतृप्ति और वशेष संकेतकों संबंधी प्रगति सहित स्कूलों से रियल-टाइम डेटा एकत्रित करने के लए एक व शष्ट पीएम श्री स्कूल गति व ध पोर्टल **(https://pmshri.education.gov.in/sqaf/activities)** बनाया गया है।

iv. राष्ट्रीय शक्षा नीति (एनईपी), **2020** की सफारिशों के अनुसार एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन रूपरेखा (एसक्यूएएफ) तैयार की गई है, जो प्रत्येक पीएम श्री स्कूल द्वारा अर्जित दक्षता के स्तर को बताती है। एसक्यूएएफ को पीएम श्री योजना के छह स्तंभों के आधार पर छह मुख्य क्षेत्रों में वभाजित कया गया है।

v. योजना के तहत पीएम श्री स्कूलों की वास्त वक निगरानी के लए वभाग के अ धकारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में दौरा कया जाना।

(ज): आबंटित धनरा श सहित उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ज़िलों से चयनित पीएम श्री स्कूलों की संख्या निम्नवत है:

			आबंटित नि ध (करोड़ में)		
क्रम संख्या	जिले	पीएम श्री स्कूलों की संख्या	वत्तीय वर्ष **2023-24**	वत्तीय वर्ष **2024-25**	वत्तीय वर्ष **2025-26**
1	उदयपुर	**22**	**1.77***	**7.53***	**4.05***
2	सलूंबर	**8**			
3	डूंगरपुर	**14**	**4.09**	**8.08**	**1.55**
4	प्रतापगढ़	**14**	**0.58**	**5.46**	**0.89**

* वर्ष 2024 में उदयपुर जिले से अलग करके सलूम्बर को एक नया जिला बनाया गया था।

इसके अतिरिक्त, पीएम श्री स्कूलों की ज़िलेवार सूची पीएम श्री योजना की वेबसाइट: https://pmshri.education.gov.in/state पर देखी जा सकती है।

*****

अनुलग्नक-I

'पीएम-श्री वद्यालय योजना के तहत स्कूलों का उन्नयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्यों डॉ. मन्ना लाल रावत और श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा दिनांक **08.12**.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकत प्रश्न संख्या **1268** के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखत अनुलग्नक

पीएम-श्री योजना के तहत संस्वीकृत और जारी कए गए केंद्रीय भाग निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केवसं/नवस/एनसीईआरटी वार ब्यौरा और लाभान्वित स्कूलों की संख्या इस प्रकार है:

(करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित पीएम श्री स्कूलों की संख्या	वत्तीय वर्ष **2023-24**		वत्तीय वर्ष **2024-25**		वत्तीय वर्ष **2025-26**	
			स्वीकृत पीएबी परिव्यय का केन्द्रीय भाग	जारी कया गया कुल केन्द्रीय भाग	स्वीकृत पीएबी व्यय का केंद्रीय भाग*	जारी कया गया कुल केन्द्रीय भाग	स्वीकृत पीएबी व्यय का केंद्रीय हिस्सा*	**03.12.2025** तक जारी कया गया कुल केंद्रीय भाग
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**16**	**6.25**	**1.56**	**7.64**	**2.83**	**10.64**	**1.33**
2	आंध्र प्रदेश	**935**	**212.91**	**106.46**	**469.43**	**294.12**	**386.11**	**0.001**
3	अरुणाचल प्रदेश	**93**	**16.85**	**4.21**	**50.33**	**33.87**	**47.30**	**1.83**
4	असम	**382**	**114.71**	**57.36**	**297.92**	**142.36**	**195.87**	**28.12**
5	बिहार	**836**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	**600.45**	**0.00**
6	चंडीगढ़	**2**	**0.73**	**0.63**	**1.8**	**1.25**	**1.66**	**0.68**
7	छत्तीसगढ़	**341**	**39.47**	**19.74**	**120.85**	**37.35**	**118.07**	**6.78**
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	**7**	**2.59**	**0.65**	**2.56**	**1.01**	**3.71**	**0.00**
9	गोवा	**28**	**3.71**	**3.25**	**9.49**	**4.64**	**9.97**	**0.16**
10	गुजरात	**463**	**65.87**	**32.94**	**109.74**	**63.58**	**125.81**	**10.23**
11	हरियाणा	**250**	**51.16**	**25.58**	**135.3**	**56.1**	**115.05**	**1.93**
12	हिमाचल प्रदेश	**199**	लागू नहीं	लागू नहीं	**135.35**	**135.35**	**102.46**	**13.33**
13	जम्मू और कश्मीर	**396**	**104.79**	**52.40**	**252.68**	**99.72**	**249.37**	**0.22**
14	झारखंड	**363**	लागू नहीं	लागू नहीं	**155.23**	**38.81**	**228.87**	**8.48**
15	कर्नाटक	**585**	**30.17**	**26.39**	**150.86**	**62.78**	**226.16**	**0.05**
16	लद्दाख	**37**	**8.08**	**4.04**	**26.66**	**11.91**	**21.22**	**14.47**
17	लक्षद्वीप	**11**	**4.36**	**1.09**	**6.77**	**0.72**	**7.35**	**1.42**
18	मध्य प्रदेश	**799**	**131.99**	**44.53**	**261.84**	**145.33**	**368.01**	**3.96**
19	महाराष्ट्र	**860**	**126.81**	**63.40**	**339.37**	**226.15**	**220.57**	**4.45**

20	म णपुर	121	35.27	17.64	82.89	37.83	66.30	3.95
21	मेघालय	65	8.59	4.30	30.57	20.08	31.69	0.10
22	मजोरम	35	8.20	4.10	12	4.96	11.68	0.12
23	नगालैंड	49	3.90	0.98	22.33	5.44	30.41	0.00
24	ओ डशा	762	लागू नहीं	लागू नहीं	261.02	130.51	511.20	21.94
25	पुदुचेरी	12	2.35	2.06	6.52	3	5.66	0.01
26	पंजाब	356	लागू नहीं	लागू नहीं	125.68	94.26	207.82	5.63
27	राजस्थान	639	98.36	24.59	270.5	118.69	260.80	6.87
28	सक्किम	47	20.35	10.18	31.06	15.11	26.73	3.22
29	तेलंगाना	794	239.21	59.80	388.67	342.09	253.53	7.09
30	त्रिपुरा	84	23.61	11.80	51.67	38.45	38.74	0.40
31	उत्तर प्रदेश	1725	242.99	121.50	402.68	246.86	377.65	9.99
32	उत्तराखंड	241	65.62	57.42	117.09	58.6	134.97	5.04
33	केन्द्रीय वद्यालय	913	590.71	295.35	817.78	656.28	428.05	23.08
34	एनवीएस	620	260.73	162.73	654.44	441.03	383.65	169.19
35	एनसीईआरटी	4	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5.12	1.28
	कुल	13,070	2520.34	1216.68	5808.72	3571.07	5812.65	355.35

*परिव्यय में प्रतिबद्ध देयताएँ शा मल हैं

लागू नहीं: उक्त वर्ष में राज्य में यह योजना लागू नहीं की गई थी।

अनुलग्नक II

‘पीएम-श्री वद्यालय योजना के तहत स्कूलों का उन्नयन’ के संबंध में माननीय संसद सदस्यों डॉ. मन्ना लाल रावत और श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा दिनांक **08.12.**2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकत प्रश्न संख्या **1268** के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखत अनुलग्नक

देश में पीएम-श्री योजना के तहत अब तक चयनित स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/के वसं/न वस/एनसीईआरटी वार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/के वसं/न वस/एनसीईआरटी	पीएम-श्री स्कूलों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**16**
2	आंध्र प्रदेश	**935**
3	अरुणाचल प्रदेश	**93**
4	असम	**382**
5	बिहार	**836**
6	चंडीगढ़	**2**
7	छत्तीसगढ़	**341**
8	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	**7**
9	दिल्ली	**6**
10	गोवा	**28**
11	गुजरात	**463**
12	हिमाचल प्रदेश	**199**
13	हरियाणा	**250**
14	जम्मू और कश्मीर	**396**
15	झारखंड	**363**
16	कर्नाटक	**585**
17	लद्दाख	**37**
18	लक्षद्वीप	**11**
19	मध्य प्रदेश	**799**
20	महाराष्ट्र	**860**
21	म णपुर	**121**
22	मेघालय	**65**
23	मजोरम	**35**
24	नगालैंड	**49**
25	ओ डशा	**762**
26	पुदुचेरी	**12**
27	पंजाब	**356**
28	राजस्थान	**639**
29	सक्किम	**47**
30	तेलंगाना	**794**
31	त्रिपुरा	**84**
32	उत्तराखंड	**241**
33	उत्तर प्रदेश	**1725**
34	केन्द्रीय वद्यालय	**913**
35	एनवीएस	**620**
36	एनसीईआरटी	**4**
	कुल	**13076**

राजस्थान राज्य में ज़िलेवार पीएम-श्री स्कूलों की संख्या इस प्रकार है:

क.सं.	जिले	पीएम-श्री स्कूलों की संख्या
1	अजमेर	11
2	अलवर	16
3	अनुपगढ़	8
4	बालोतरा	11
5	बांसवाड़ा	18
6	बारां	16
7	बाड़मेर	18
8	ब्यावर	12
9	भरतपुर	15
10	भीलवाड़ा	16
11	बीकानेर	17
12	बूंदी	12
13	चत्तौड़गढ़	17
14	चुरू	16
15	दौसा	17
16	डीग	7
17	धौलपुर	14
18	डीडवाना-कुचामन	15
19	दूदू	3
20	डूंगरपुर	14
21	गंगानगर	12
22	गंगापुर सटी	7
23	हनुमानगढ़	16
24	जयपुर	2
25	जयपुर (ग्रामीण)	25
26	जैसलमेर	9
27	जालौर	7
28	झालावाड़	14
29	झुंझुनूं	19
30	जोधपुर	3
31	जोधपुर (ग्रामीण)	17
32	करौली	10
33	केकड़ी	8
34	खैरथल-तिजारा	10
35	कोटा	14
36	कोटपूतली-बहरोड़	9
37	नागौर	15
38	नीम का थाना	12
39	पाली	18
40	फलौदी	10
41	प्रतापगढ़	14
42	राजसमंद	16
43	सलूंबर	8
44	सांचोर	11
45	सवाई माधोपुर	7
46	शाहपुरा	7
47	सीकर	18
48	सरोही	10
49	टोंक	16
50	उदयपुर	22
	कुल	639

बिहार राज्य में पीएम-श्री स्कूलों की ज़िले-वार संख्या इस प्रकार है:

क.सं.	जिले	पीएम-श्री स्कूलों की संख्या
1	अररिया	14
2	अरवल	10
3	औरंगाबाद	17
4	बांका	17
5	बेगूसराय	23
6	भागलपुर	24
7	भोजपुर	24
8	बक्सर	21
9	दरभंगा	24
10	गया	33
11	गोपालगंज	26
12	जमुई	17
13	जहानाबाद	15
14	कैमूर (भभुआ)	18
15	कटिहार	24
16	खग ड़या	14
17	कशनगंज	16
18	लखीसराय	14
19	मधेपुरा	24
20	मधुबनी	28
21	मुंगेर	16
22	मुजफ्फरपुर	27
23	नालन्दा	25
24	नवादा	23
25	पश्चिम चंपारण	30
26	पटना	36
27	पूर्वी चंपारण	38
28	पू र्णया	20
29	रोहतास	29
30	सहरसा	17
31	समस्तीपुर	28
32	सारण	31
33	शेखपुरा	12
34	शवहर	10
35	सीतामढ़ी	25
36	सवान	25
37	सुपौल	17
38	वैशाली	24
	कुल योग	836